भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 480
जिसका उत्तर 23 जुलाई, 2025 को दिया जाना है ।
1 श्रावण, 1947 (शक)

राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वय केंद्र

480. श्री ईश्वरस्वामी के.:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वय केंद्र (एनसीसीसी) द्वारा विभिन्न चरणों में कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत दो वर्षों के दौरान एनसीसीसी के लिए कितनी राशि निर्धारित और जारी की गई है;

(ग) पुलिस अधिकारियों, न्यायिक अधिकारियों और अन्य कार्मिकों के लिए आयोजित साइबर अपराध जागरूकता कार्यशालाओं की संख्या कितनी है; और

(घ) क्या देश में साइबर अपराधों और साइबर सुरक्षा से निपटने में विभिन्न हितधारकों के बीच प्रभावी समन्वय है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (घ) : राष्ट्रीय साइबर समन्वय केन्द्र (एनसीसीसी) का कार्यान्वयन भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन) द्वारा किया जा रहा है।

सर्ट-इन दूरसंचार सुरक्षा प्रचालन केंद्र (टीएसओसी), भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी), राष्ट्रीय सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (एनसीआईआईपीसी) आदि सहित साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने में शामिल अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर काम करता है।

एनसीसीसी साइबर सुरक्षा खतरों का पता लगाने के लिए साइबर स्पेस की जांच करता है। यह कार्रवाई करने के लिए संबंधित संगठनों, राज्य सरकारों और हितधारक एजेंसियों के साथ जानकारी साझा करता है।

अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर एनसीसीसी जी-20 शिखर सम्मेलन और अन्य बड़े आयोजनों इत्यादि के दौरान साइबर हमलों को सफलतापूर्वक रोकने में सफल रहा। एनसीसीसी की क्षमता का विकास देश के समक्ष आने वाली साइबर सुरक्षा संबंधी चुनौतियों का उपयुक्त समाधान करने के लिए आवश्यक बजटीय आवंटन के साथ चरणबद्ध ढंग से किया जा रहा है।

साइबर सुरक्षा पेशेवरों, सरकारी कर्मचारियों, पुलिस और कानून प्रवर्तन पेशेवरों, वकीलों और सरकारी अभियोजकों, छात्रों आदि के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं।

******